न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 214/2014

बउनवान

बद्रीलाल पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति मीणा, निवासी माथना, तहसील व जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 28.12.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–माथना, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.15 है. किस्म खलियान पर अतिक्रमी मानकर 75/–रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व इससे पूर्व कब प्रार्थी को बेदखल किया गया है उसका कोई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। इसलिये अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रार्थी/अपीलांट के खेत के लगवां खाली भूमि पड़ी हुई है जिस पर अपीलांट ने फसल तैयार की है तथा फसल तैयार करना अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलांट ने ताबान भी जमा करवा दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। पत्रावली पर कब्जे एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के बाबत कोई साक्ष्य नही है, और ना ही मौके पर कब्जे की कोई पुष्टि हुई। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta

Date: 2023.01.05 17:36:39 IST

Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1446/12 निर्णय दिनांक 26.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 153/14 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 17.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.05 17:36:39 IST
Reason: SelfAttested